PLUTUS IAS
UPSC/ PCS

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

प्लूटस आई.ए.एस. साप्ताहिक करंट अफेयर्स

28/10/2024 से 03/11/2024 तक

THE HINDU

पत्र सूचना कार्यालय
PRESS INFORMATION BUREAU
भारत सरकार

The Indian EXPRESS

कार्यालय

दूसरी मंज़िल, अप्सरा आर्केड, करोल बाग मेट्रो स्टेशन गेट नंबर - 6, नई दिल्ली 110005

706 प्रथम तल डॉ. मुखर्जी नगर बत्रा सिनेमा के पास दिल्ली - 110009

मोबाइल नं. : +91 84484-40231

वेबसाइट : www.plutusias.com

ईमेल : info@plutsias.com

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

विषय सूची

1. राज्यपाल बनाम राज्य सरकार : संवैधानिक शक्तियों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में संतुलन की चुनौतियाँ........1

2. जनहित या राजकोषीय घाटा : भारत में लोकलुभावनवादी योजनाओं का वित्तीय विश्लेषण............. 5

3. भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (FSSAI) की कार्य-प्रणाली : सुरक्षा से गुणवत्ता तक................ 8

4. मातृत्व की सुरक्षा : व्यापक टीकाकरण और मातृ मृत्यु दर के बीच जंग................ 12

PLUTUS IAS

राज्यपाल बनाम राज्य सरकार : संवैधानिक शक्तियों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में संतुलन की चुनौतियाँ

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बीच एक नया राजनीतिक विवाद उभरा है, जिसका कारण प्रसार भारती के कार्यक्रम में राज्यगीत 'तमिल थाई वझथु' की गलत प्रस्तुति है।
- इस गीत से 'द्रविड़ भूमि' की प्रशंसा वाला एक पद गायब था, जिसे अनजाने में हुई गलती बताया गया।
- तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि के "आर्य" संदर्भ पर सवाल उठाते हुए इसे नस्लवादी कहा, जबकि रवि ने इसे मुख्यमंत्री की संवैधानिक गरिमा के खिलाफ बताया।
- तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने **'द्रविड़ अवधारणा'** को **'पुरानी पड़ चुकी विचारधारा'** कहा, जो अलगाववाद को बढ़ावा देती है।
- उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 50 वर्षों में तमिलनाडु में विषाक्तता फैलाई गई है। यह स्थिति शासन की कार्यक्षमता को प्रभावित कर रही है और यह सुझाव दिया जा रहा है कि तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि को उसके पद से हटाया जाना चाहिए, क्योंकि उनके और मुख्यमंत्री के बीच के संबंधों में कोई सुधार नहीं दिख रहा है।
- भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह स्थिति राज्य की लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए चिंता का विषय है।

भारत में राज्यपाल के पद से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ :

राज्यपाल की नियुक्ति :

- भारत में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- भारत में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किए जाने से राज्यपाल की राजनीतिक तटस्थता और निष्पक्षता पर भी हमेशा सवाल खड़े होते हैं।
- भारत में कई बार केंद्र में सत्तारूढ़ दल के किसी सदस्य को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया या राजनीतिक कारणों से उसे हटा दिया गया या स्थानांतरित कर देने का उदहरण भी देखने को मिलता है।जो भारत में राज्यपाल के पद की गरिमा और उनकी एक ही राज्य में स्थिरता की कमजोरी के रूप में देखा जाता है।

भारत में राज्यपाल की शक्तियाँ और भूमिका :

- भारत के संविधान द्वारा राज्यपाल को विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ और अनेक प्रकार की भूमिकाएं प्रदान की गई है।
- भारत में राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति देना, मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना, राज्य के विभिन्न विषयों पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना और कुछ राज्यों में

PLUTUS IAS

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

विशेष उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने की शक्तियां प्राप्त है।

- भारत में राज्यपाल को संविधान द्वारा प्रदत भूमिकाएँ और शक्तियाँ प्रायः राज्यपाल के विवेकाधीन (discretion) होती हैं, जिससे कई बार कई राज्यों में निर्वाचित राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है

राज्यपालों की जवाबदेही और प्रतिरक्षा :

- भारत में राज्यपाल को संबंधित राज्य सरकार में राष्ट्रपति के समकक्ष माना जाता है।
- राज्यपाल के संदर्भ में अक्सर यह देखा गया है कि वे केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करते देखा गया है।
- भारत में राज्यपालों की नियुक्ति अक्सर संबंधित निर्वाचित राज्य सरकारों की शक्ति पर नियंत्रण रखने के लिए नियुक्त किया जाता है।
- भारत में राज्यपाल को केंद्र सरकार की मर्जी से राष्ट्रपति द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है।
- वास्तविकता में भारत में राज्यपाल इस बात से आश्वस्त होते हैं कि जब तक वे केंद्र सरकार के अनुरूप कार्य करते रहेंगे, वे अपने पद पर बने रहेंगे।
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार भारत में राज्यपाल राज्य के प्रमुख के रूप में वे पद पर बने रहते हुए अपने कार्यों के लिए न्यायालयों के प्रति भी जवाबदेह नहीं होते हैं।

भारतीय संविधान द्वारा प्रदत राज्यपाल की शक्तियाँ :

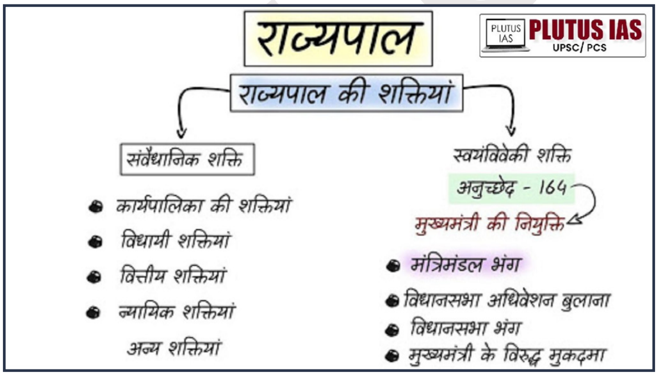

भारत के संविधान में राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख है जो संविधान के अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201 द्वारा विधेयकों को पारित करने के संबंध में परिभाषित हैं।

संविधान के अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201 के अनुसार, जब राज्य विधानमंडल द्वारा राज्यपाल के समक्ष कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो **उनके पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं:-**

- वह उस विधेयक पर सहमति दे सकता है, जिसका अर्थ है कि विधेयक एक अधिनियम या कानून बन जाता है।
- वह विधेयक पर अपनी सहमति नहीं डे सकता है या उस विधेयक को अपने रोक सकता है, जिसका अर्थ है कि उक्त को विधेयक निरस्त कर दिया गया है।
- धन विधेयक को छोड़कर वह किसी भी विधेयक को या उस विधेयक के कुछ उपबंधों पर पुनर्विचार के अनुरोध वाले संदेश के साथ राज्य विधानमंडल को वापस भेज सकता है।
- यदि उक्त विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के दोबारा पारित किया जाता है तो राज्यपाल को उस विधेयक पर अपनी सहमति देनी ही पड़ती है।
- राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है, जो या तो विधेयक पर सहमति दे सकता है या अपनी अनुमति नहीं भी डे सकता है, या राज्यपाल को विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को वापस भेजने का निर्देश दे सकता है।
- भारत में किसी भी राज्य का कोई भी विधेयक यदि उस राज्य के उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डाल सकता है तो राज्यपाल द्वारा उस विधेयक पर रोक लगाना अनिवार्य होता है।
- कोई भी विधेयक भारत के संविधान के प्रावधानों, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों अथवा देश के व्यापक हित या गंभीर राष्ट्रीय महत्त्व के विरुद्ध है, या संविधान के अनुच्छेद 31 A, के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित है तो यह तय करना राज्यपाल के विवेकाधीन होता है।

भारत में राज्यपाल के पद को समाप्त कर देने के पक्ष और विपक्ष में प्रतुत किए जाने वाला तर्क :

- भारत में राज्यपालों द्वारा अनुचित और असंवैधानिक आचरण किए जाने पर प्रायः यह कहा जाता है कि इस भारत में राज्यपाल के पद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। हालाँकि यह तर्क अविवेकपूर्ण और अनावश्यक दोनों है।
- अविवेकपूर्ण कहे जाने के पीछे यह तर्क होता है कि क्योंकि वेस्टमिंस्टर संसदीय लोकतंत्र (Westminster parliamentary democracy) में राज्य के प्रमुख और सरकार के प्रमुख दोनों की उपस्थिति की आवश्यकता होती है और राज्यपाल का पद समाप्त करना उस पूरी संसदीय प्रणाली को समाप्त करने के समान होगा।

- अनावश्यक कहे जाने के पीछे यह तर्क निहित होता है कि क्योंकि न्यायिक हस्तक्षेप या संवैधानिक सुधार जैसे व्यवहार्य विकल्प पहले से मौजूद हैं। अतः भारत में राज्यपाल के पद को समाप्त कर देना अनावश्यक है।

भारत में राज्यपाल के पद से संबंधित संविधान सभा के सदस्यों के विचार :

- भारत में संविधान सभा के कुछ सदस्य, जैसे दक्षिणायनी वेलायुधन, विश्वनाथ दास और एच.वी. कामथ राज्यपालों से संबंधित प्रावधानों के प्रखर आलोचक थे। उनका तर्क था कि संविधान का मसौदा चूंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रतिकृति है जहाँ केंद्र को बहुत अधिक शक्तियाँ दी गई हैं और राज्यों की स्वायत्तता को कम कर दिया गया है। अतः उन्हें यह भी भय था कि राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करेंगे और राज्य सरकारों के कार्य में हस्तक्षेप करेंगे।

- संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने राज्यपालों से संबंधित मौजूदा प्रावधानों का बचाव किया था। उनका तर्क था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में बदलाव करने के लिए बहुत कम समय था और राज्यपालों को केवल राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य करना है, न कि उन पर शासन करना या हावी होना है। राज्यपाल द्वारा केंद्र के अनुसार कार्य करने की आशंक जिसकी संभावना संविधान सभा के कई सदस्यों द्वारा उजागर की गई, को डा. अंबेडकरख़ारिज कर दिया था। उन्होंने इस बारे में भी कुछ नहीं कहा कि राज्यपाल संबंधी प्रावधानों में कोई सुधार क्यों नहीं किया गया, जबकि भारत सरकार अधिनियम 1935 के कई प्रावधानों को आवश्यकतानुसार सुधार के साथ संविधान में शामिल किया गया था।

वर्तमान समय में राज्यपाल से संबंधित किए जाने वाले महत्वपूर्ण सुधार :

न्यायिक हस्तक्षेप :

- सर्वोच्च न्यायालय राज्यपालों के आचरण की निगरानी करना जारी रख सकता है और यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश या टिप्पणियाँ जारी कर सकता है कि वे संविधान एवं कानून के अनुसार कार्य करें। इससे राज्यपालों की मनमानी या पक्षपातपूर्ण कार्रवाइयों को रोकने और भारतीय राजनीति के संघीय सिद्धांत या संघीय स्वरुप को बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

वर्तमान नियुक्ति और निष्कासन प्रक्रिया में सुधार करना :

- भारत में राज्यपालों की नियुक्ति और निष्कासन की प्रक्रिया को बदलने के लिए भारत के मौजूदा संविधान में भी संशोधन किया जा सकता है, जैसा 'हेड्स हेल्ड हाई' के लेखकों ने सुझाव दिया है। इसमें एक अधिक पारदर्शी और परामर्शी तंत्र शामिल हो सकता है, जैसे कि कॉलेजियम या संसदीय समिति, जो योग्यता और उपयुक्तता के आधार पर उम्मीदवारों का चयन कर सकती है। राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव या न्यायिक जाँच की आवश्यकता के साथ राज्यपालों के निष्कासन को और भी कठिन बनाया जा सकता है।

राज्यपाल को राष्ट्रपति के समान दर्जा प्रदान कर राज्य के प्रति जवाबदेह बनाना :

- भारत में राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के प्रति उसी तरह जवाबदेह बनाया जा सकता है जैसे राष्ट्रपति केंद्रीय संसद के प्रति जवाबदेह होता है। राज्यपाल के लिए भी निर्वाचन से नियुक्ति और महाभियोग से निष्कासन जैसी व्यवस्था किया जा सकता हैं।

राज्यपाल को एक निर्वाचित प्रतिनिधि बनाना :

- राज्यपाल को केंद्र सरकार द्वारा नामित व्यक्ति के बजाय राज्य का एक निर्वाचित प्रतिनिधि बनाया जा सकता है। इससे इस पद की जवाबदेही एवं वैधता बढ़ सकती है और केंद्र द्वारा हस्तक्षेप या प्रभाव की गुंजाइश कम हो सकती है। राज्यपाल का चुनाव राज्य विधानमंडल या राज्य के लोगों द्वारा किया जा सकता है, जैसा कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में होता है।

महाभियोग लगाकर पद से निष्काषित करना :

- भारत में राज्यपाल को संविधान के उल्लंघन या कदाचार के आधार पर राज्य विधानमंडल द्वारा महाभियोग चलाकर उसके पद से हटाया जा सकता है। जिससे यह राज्यपाल की शक्ति और अधिकार पर नियंत्रण एवं संतुलन प्रदान कर सकता है और राज्यपाल के पद को किसी भी दुरुपयोग करने से रोक सकता है। राज्यपाल पर महाभियोग की प्रक्रिया को राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया के समान ही बनाया जा सकता है, जहाँ कुल सदस्यता के बहुमत और राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।

भारत में सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न समितियों द्वारा राज्यपाल से संबंधित सुझाए गए संवैधानिक सुधार :

PLUTUS IAS

भारत में सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न समितियों द्वारा राज्यपाल के पद से संबंधित समय – समय पर कुछ संवैधानिक सुधार सुझाये गए हैं। जो निम्नलिखित है –

सरकारिया आयोग (1988) की सिफारिशें :

- राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श के बाद की जानी चाहिए।
- राज्यपाल को सार्वजनिक जीवन के किसी क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिये और उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिये जहाँ वह नियुक्त किया जा रहा है।
- दुर्लभ एवं बाध्यकारी परिस्थितियों को छोड़कर राज्यपाल को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले नहीं हटाया जाना चाहिए।
- राज्यपाल को केंद्र और राज्य के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना चाहिए न कि केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करना चाहिए।
- राज्यपाल को अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग संयमित और विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए और उनका उपयोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर करने के लिए नहीं बल्कि उसका उपयोग भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए करना चाहिए।

वेंकटचलैया आयोग (2002) के सुझाव :

- भारत में राज्यपालों की नियुक्ति की प्रक्रिया को एक समिति को सौंपी जानी चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री शामिल हों।
- भारत में राज्यपाल को पाँच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहिए , जब तक कि दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर वे इस्तीफा नहीं दे देते या राष्ट्रपति द्वारा हटा नहीं दिए जाते हैं।
- भारत में केंद्र सरकार को राज्यपाल को हटाने से संबंधित किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह अवश्य लेनी चाहिए।
- राज्यपाल को भी राज्य के दैनिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्हें राज्य सरकार के मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक के समान कार्य करना चाहिए और अपनी विवेकाधीन शक्तियों का संयमपूर्वक उपयोग करना चाहिए।

पुंछी आयोग (2010) का सुझाव :

- भारत में राज्यपाल से संबंधित पुंछी आयोग ने संविधान से 'राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत' (during the pleasure of the President) वाक्यांश को हटाने की सिफारिश की, जिसके अनुसार राज्यपाल को केंद्र सरकार की इच्छा पर हटाया जा सकता है।
- पुंछी आयोग ने यह सुझाव भी दिया कि राज्यपाल को केवल राज्य विधानमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा उसके पद से ही हटाया जाना चाहिए , जो भारत में किसी भी राज्य के लिए अधिक स्थिरता और स्वायत्तता सुनिश्चित करेगा।

बी.पी. सिंघल बनाम भारत संघ (2010)में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय :

- बी.पी. सिंघल बनाम भारत संघ (2010) में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपाल के पद के संबंध में निर्णय में कहा कि राष्ट्रपति किसी भी समय और बिना कोई कारण बताए राज्यपाल को हटा सकता है। भारत में यह प्रक्रिया इसलिए हो सकता है क्योंकि राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 156(1) के तहत 'राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत' अपने पद पर बना रहता है। हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि राज्यपाल के पद से किसी भी व्यक्ति का निष्कासन मनमाने तरीके या किसी भी अनुचित कारणों के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि भारत में राज्यपाल को पद से हटाने के लिए संविधान सम्मत तरीके अपनाए जाना चाहिए।

निष्कर्ष / समाधान की राह :

- भारत में राज्यपालों की भूमिका पर जारी चर्चा अत्यंत सूक्ष्म सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित करती है, जबकि इस पद का पूर्ण उन्मूलन अविवेकपूर्ण समझा जाता है। अतः भारत में राज्यपालों की पारदर्शी नियुक्ति, उनकी पदेन जवाबदेही में वृद्धि और सीमित विवेकाधीन शक्तियों केउपयोग संयमपूर्वक करना होगा।
- भारत में लोकतांत्रिक सिद्धांतों या संवैधानिक मूल्यों को को कमज़ोर किए बिना भी राज्यपाल के पद को प्रभावी रूप से

PLUTUS IAS

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

क्रियान्वित करने को सुनिश्चित करने के लिए भारत में राज्य और केंद्र के हितों के बीच संतुलन बनाना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी राज्य में राज्यपाल केवल रबड़ स्टाम्प या केंद्र सरकार का एजेंट भर नहीं होता है, बल्कि राजपाल अनेकों बार अपनी सूझ- बूझ से और अपनी विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग कर राज्य सरकार और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री के साथ मिलकर उस राज्य में बेहतर रूप से प्रशासनिक करवाई करते है और एक बेहतर, विवेकी प्रशासनिक तंत्र विकसित करते हैं और राज्य को उन्नत राज्य बनाने की दिशा में कार्य भी करते हैं।

- अतः कोई भी पद समय सापेक्ष होता है। अगर बदलते समय के साथ उस पद से संबंधित शक्तियों को बेहतर लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले राज्य में परिणत करने की कोई भी कोशिश होती है तो यह भारत के लोकतंत्र के साथ – ही – साथ संवैधानिक मूल्यों से ओत – प्रोत शासन व्यवस्था का सूचक है। जिससे राज्य में एक स्थिर , लोकतांत्रिक , समानतामूलक राज्य व्यवस्था की रीढ़ ही मजबूत होगी और भारत में राजपाल का पद भी अपनी गरिमा, संवैधानिक मूल्यों से लैश और अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने में भी सक्षम होगी। राज्यपाल संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के साथ तालमेल बिठाकर उस राज्य को एक पारदर्शी और न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था देने में सक्षम हो सकेगा। क्योंकि जब भी कोई सरकार अविवेकी और तानाशाही की ओर उन्मुख होती है तो राज्यपाल के पद पर विराजमान न्याय का चाबुक उस निर्वाचित सरकार को न्यायिक चरित्र से युक्त एवं विवेकी बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. पुंछी आयोग के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श के बाद की जानी चाहिए।
2. सरकारिया आयोग के अनुसार भारत में राज्यपालों की नियुक्ति की प्रक्रिया को एक समिति को सौंपी जानी चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री शामिल हों।
3. भारत में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
4. भारत में राज्यपाल धन विधेयक के साथ – ही – साथ किसी भी विधेयक को या उस विधेयक के कुछ उपबंधों पर पुनर्विचार के अनुरोध वाले संदेश के साथ राज्य विधानमंडल को वापस भेज सकता है।

उपरोक्त कथन/ कथनों में कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1 और 3

B. केवल 2 और 4

C. केवल 2

D. केवल 3

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1 भारत में राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया को रेखांकित करते हुए, विभिन्न आयोगों के सुझावों के आलोक में राज्यपाल के पद से जुड़ी चुनौतियों और उन चुनौतियों के समाधान की विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिए।

(शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

जनहित या राजकोषीय घाटा : भारत में लोकलुभावनवादी योजनाओं का वित्तीय विश्लेषण

खबरों में क्यों ?

- भारत में विभिन्न राज्यों में हाल ही हुए एक सर्वेक्षण यह बताता है कि शहरी भारतीयों का मुफ्त वस्तुओं के प्रति दृष्टिकोण मिश्रित है, जो चुनावी अभियानों में एक विभाजनकारी मुद्दा बन गया है।
- भारत के प्रधानमंत्री द्वारा सन 2022 में "रेवड़ी संस्कृति" की आलोचना करने के बाद चुनावों में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा वस्तुओं को मुफ्त में बांटने की घोषनाओं की स्थिरता और नैतिकता पर एक बार फिर से भारत में लोकलुभावनवादी योजनाओं का

PLUTUS IAS

वित्तीय विश्लेषण पर बहस तेज हो गई है।

- इस सर्वेक्षण में भारत की 56% आबादी ने मुफ्त वस्तुओं को अनावश्यक, 78% ने इसे मत प्राप्त करने की रणनीति और 61% ने इसके राष्ट्रीय वित्त पर प्रभाव की चिंता जताई।

- भारत के अमीर वर्गों के 84% जनता ने इसे आर्थिक रूप से हानिकारक बताया, जबकि निम्न आय वर्ग में यह आंकड़ा 46% था, जो स्वास्थ्य सेवा पर सरकारों द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी को उचित मानते हैं।

“ किसी आदमी को एक मछली दो तो तुम एक दिन के लिए उसका पेट भरोगे लेकिन अगर किसी आदमी को मछली पकड़ना सिखा दो तो तुम जीवन भर के लिए उसके पेट भरने का उपाय कर दोगे।” (“Give a man a fish and you feed him for a day, teach a man to fish and you feed him for a lifetime.”)

भारत में योजनाओं से संबंधित फ्रीबीज (निःशुल्क) संस्कृति क्या होता है ?

- भारत में फ्रीबीज (निःशुल्क) संस्कृति को समझने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट में इसे “एक लोक **कल्याणकारी उपाय”** के रूप में परिभाषित किया गया है, जो नागरिकों को निःशुल्क प्रदान किया जाता है।

- भारतीय रिजर्व बैंक की उस रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि फ्रीबीज स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी व्यापक और दीर्घकालिक लाभ प्रदान करने वाली सार्वजनिक या मेरिट वस्तुओं (public/ merit goods) से भिन्न होते हैं।

- भारत में भारत में लोकलुभावनवादी योजनाएं या फ्रीबीज आमतौर पर चुनावी रणनीतियों का हिस्सा होते हैं, जिनका उद्देश्य लोगों को तत्काल लाभ देना होता है, जबकि सार्वजनिक वस्तुएं समाज के समग्र विकास के लिए जरूरी होती हैं।

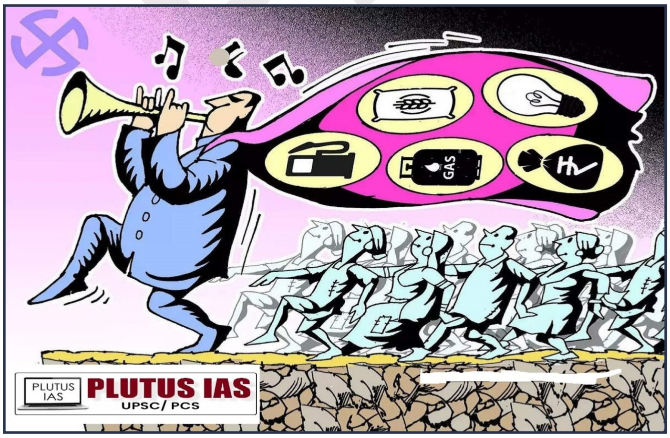

निःशुल्क योजनाएं (फ्रीबीज) और कल्याणकारी राज्य (वेलफेयर स्टेट) के बीच मुख्य अंतर :

- कल्याणकारी योजनाएं जहां समाज या राज्य पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं, वहीं निःशुल्कता (फ्रीबीज) राज्य या व्यक्ति की राज्य पर निर्भरता और उससे उत्पन्न विकृति को पैदा कर सकती है।

- फ्रीबीज उन वस्तुओं और सेवाओं का समूह हैं जो उपयोगकर्ताओं को बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराए जाते हैं। इनका लक्ष्य सामान्यतः अल्पकालिक लाभ पहुँचाना होता है, जो अक्सर मतदाताओं को आकर्षित करने या लोकलुभावन वादों के तहत एक प्रकार की रिश्वत के रूप में देखे जाते हैं। उदाहरण के लिए, निःशुल्क लैपटॉप, टीवी, साइकिल, बिजली और पानी जैसे उपहार फ्रीबीज के श्रेणी में आते हैं।

- राज्य द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाएं जहाँ सुविचारित कार्यक्रम होती हैं, जिनका उद्देश्य लक्षित जनसंख्या को लाभ पहुँचाना और उनके जीवन स्तर में सुधार करना है। ये योजनाएं नागरिकों के प्रति संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए बनाई जाती हैं, और इन्हें सामाजिक न्याय, समानता और मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए देखा जाता है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), और मध्याह्न भोजन योजना जैसी योजनाएं शामिल हैं।

- अतः किसी भी कल्याणकारी राज्य में फ्रीबीज और कल्याणकारी योजनाएं विभिन्न दृष्टिकोण और प्रभाव के साथ एक साथ काम करती हैं, जो समाज में उनकी भूमिका को स्पष्ट करती हैं।

लोकलुभावनवादी निःशुल्क योजनाओं (फ्रीबीज) के लाभ :

1. लोकतंत्र में पारदर्शिता और संवाद का निर्माण और सार्वजनिक सहभागिता का होना : निःशुल्क योजनाएं सरकार के प्रति जनता का भरोसा बढ़ाती हैं, जिससे लोकतंत्र में पारदर्शिता और संवाद का निर्माण होता है।

2. मतदाताओं की जागरूकता और संतोष में वृद्धि होना : विभिन्न प्रकार के अध्ययन बताते हैं कि निःशुल्क योजनाएं मतदाताओं की जागरूकता और संतोष में वृद्धि करती हैं। जैसे कि – उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में लैपटॉप और साइकिल योजनाएं।

3. आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना : देश के कम विकसित राज्यों या क्षेत्रों में निःशुल्क योजनाएं वहां के कार्यबल की उत्पादकता बढ़ाकर आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती हैं। जैसे कि – सिलाई मशीन या लैपटॉप वितरण जैसी योजनाएं।

4. छात्र/छात्राओं के नामांकन और स्कूल ड्रॉपआउट दर में कमी लाने

में सहायक : बिहार और पश्चिम बंगाल में साइकिल जैसी योजनाएं छात्राओं के नामांकन और ड्रॉपआउट दर को सुधारने में सहायक रही हैं।

5. वंचित वर्गों को बुनियादी सेवाएं प्रदान कर उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने में सहायक होना : निःशुल्क योजनाएं गरीब और वंचित वर्गों को बुनियादी सेवाएं प्रदान कर उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार लाती हैं, जैसे कि स्कूल यूनिफॉर्म और स्वास्थ्य बीमा जैसी योजनाएं।

6. निर्धनता अनुपात में कमी लाने में सहायक : खाद्य सब्सिडी ने भारत में निर्धनता अनुपात को 7% तक कम करने में मदद की है।

7. स्वास्थ्य खर्चों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना : राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ने गरीब परिवारों के लिए स्वास्थ्य खर्चों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

8. आय असमानता में कमी होना : निःशुल्क योजनाएं संसाधनों का समान वितरण करके आय असमानता को कम कर सकती हैं, जैसे कि ऋण माफी।

9. किसानों की साख क्षमता में सुधार होना : ऋण माफी योजनाओं ने किसानों की साख क्षमता को बेहतर बनाने में मदद की है।

लोकलुभावनवादी निःशुल्क योजनाओं (फ्रीबीज) से होने वाली हानियाँ :

2023-24 में सब्सिडी पर सरकार ने ₹3.75 लाख करोड़ खर्च किए

वित्त वर्ष	सब्सिडी GDP का %	सब्सिडी (₹ लाख करोड़ में)	GDP (₹ लाख करोड़)
2019-20	1.1	1.62	203.85
2020-21	3.6	7.12	198.01
2021-22	1.9	4.48	235.97
2022-23	1.2	3.23	269.50
2023-24	1.2	3.75	293.90

सोर्स: PIB

1. लाभार्थियों में आत्मनिर्भरता की भावना में बाधा उत्पन्न होना : निःशुल्क योजनाएं लाभार्थियों में आत्मनिर्भरता की भावना को कमजोर कर सकती हैं, जिससे वे भविष्य में और अधिक मुफ्त योजनाओं की अपेक्षा करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, 1 रुपए प्रति किलो चावल या मुफ्त बिजली जैसे लाभ उन्हें सरकारी जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाह बना सकते हैं। 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि तमिलनाडु में 41% मतदाता इन योजनाओं को मतदान में महत्वपूर्ण मानते हैं।

2. राजकोषीय घाटा का बढ़ना : निःशुल्क योजनाएं सार्वजनिक व्यय, सब्सिडी, और ऋण में वृद्धि कर सकती हैं, जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ता है। कृषि ऋण माफी या बेरोज़गारी भत्ते जैसी योजनाएं सरकार के बजटीय संसाधनों पर दबाव डालती हैं, जिससे अन्य क्षेत्रों में निवेश करने की क्षमता प्रभावित होती है।

3. संसाधनों का गलत तरीके से आवंटन होना : निःशुल्क योजनाओं के कारण राज्य का संसाधन अधिक उत्पादक क्षेत्रों से हटकर निःशुल्क योजनाओं पर खर्च होते हैं, जिससे राज्य के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मोबाइल फोन या लैपटॉप जैसी योजनाओं के लिए बड़े खर्च से सड़कें, पुल और सिंचाई प्रणालियों में निवेश की कमी आ सकती है।

4. नवाचार और गुणवत्ता में कमी आना : निःशुल्क योजनाएं वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, मुफ्त साइकिल या लैपटॉप अक्सर बाजार में उपलब्ध उत्पादों की तुलना में कम गुणवत्ता वाले होते हैं।

5. पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ना : निःशुल्क योजनाएं जल, बिजली, और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग को बढ़ावा देती हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुँच सकता है। मुफ्त बिजली या पानी जैसी योजनाएं लोगों में जल संरक्षण और उर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता को कम कर सकती हैं। कैग की रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब में मुफ्त बिजली के कारण उपयोग और दक्षता में कमी आई है। इन हानियों के कारण, निःशुल्क योजनाओं के कार्यान्वयन में संतुलन और जिम्मेदारी की आवश्यकता है।

समाधान / आगे की राह :

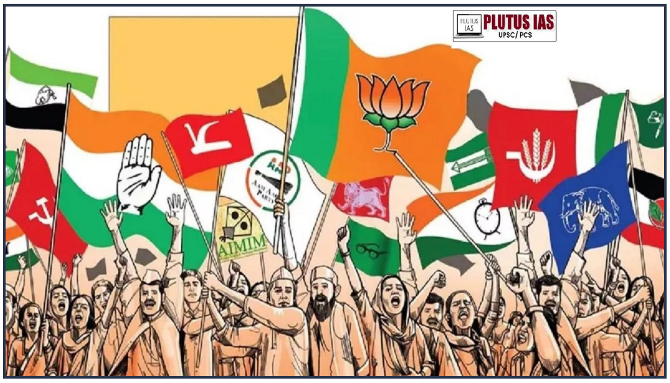

1. **राजनीतिक दलों द्वारा राजस्व के स्रोतों को स्पष्ट करने की आवश्यकता :** राजनीतिक दलों को निःशुल्क योजनाओं की घोषणा से पहले उनके वित्तपोषण के स्रोतों को स्पष्ट करना चाहिए। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि इन योजनाओं का राजकोषीय संतुलन, सार्वजनिक व्यय की लागत और दीर्घकालिक संवहनीयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

2. **भारत निर्वाचन आयोग की शक्तियों को और अधिक सशक्त करना :** भारत में चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा निःशुल्क

योजनाओं की घोषणा और कार्यान्वयन की निगरानी के लिए भारत निर्वाचन आयोग को सशक्त किया जाना चाहिए। इसमें राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने और जुर्माना लगाने जैसी शक्तियाँ शामिल होनी चाहिए।

3. **मतदाता जागरूकता अभियान और साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करना :** मतदाताओं को निःशुल्क योजनाओं के आर्थिक और सामाजिक परिणामों के बारे में शिक्षित करना आवश्यक है। उन्हें प्रदर्शन और जवाबदेही की मांग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके लिए मतदाता जागरूकता अभियान और साक्षरता कार्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

4. **सार्वजनिक चर्चा को प्रोत्साहित करना और न्यायपालिका की भूमिका** : निःशुल्क योजनाओं पर संसद में रचनात्मक बहस करना कठिन हो सकता है, इसलिए न्यायपालिका की संलग्नता आवश्यक है। यह विभिन्न उपायों पर विचार करने और सार्वजनिक चर्चा को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकती है।

5. **समावेशी विकास :** समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करने से गरीबी और असमानता के मूल कारणों का समाधान किया जा सकेगा, जिससे निःशुल्क योजनाओं की निर्भरता कम होगी। यह दीर्घकालिक आर्थिक और सामाजिक लाभ के लिए एक अनुकूल वातावरण भी बनाएगा।

निष्कर्ष :

- राजनीतिक दल अक्सर मतदाताओं को मुफ्तखोरी की नीतियों के संभावित नुकसान के बारे में जानकारी नहीं देते। हालांकि, जब मतदाता समझेंगे कि इन योजनाओं के चलते उन्हें किन अन्य लाभों से वंचित होना पड़ सकता है, तो संभव है कि वे इन्हें अस्वीकार कर दें। भारतीय अर्थव्यवस्था भारी दबाव में है, और ऐसी लुभावनी योजनाएँ चुनावों में सीमित प्रभाव डाल सकती हैं। राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि नीतियों का चुनावी लाभ अस्थायी हो सकता है, और मतदाताओं को सही जानकारी के साथ निर्णय लेने का अवसर देना आवश्यक है।

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में लोकलुभावनवादी निःशुल्क योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. इसे जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने एवं समाज कल्याण में सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से किया जाता है।
2. इसे आमतौर पर अल्पावधि में लक्षित आबादी को लाभान्वित करने के उद्देश्य से प्रदान किया जाता है।
3. इसमें व्यय प्राथमिकताओं और संसाधनों का गलत आवंटन होने की संभावना होती है।
4. यह गरीबी और आय असमानता को कम करने में सहायक होता है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1 और 3

B. केवल 2 और 4

C. इनमें से कोई नहीं

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. चर्चा कीजिए कि किस प्रकार लोकलुभावनवादी घोषनाएं और योजनाएं किसी भी लोकतांत्रिक राज्य में राजकोषीय घाटा को बढ़ाने के साथ-साथ भारत की आर्थिक सुधार की गति पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं ? इनमें निहित सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभावों की आलोचनात्मक व्याख्या कैसे की जा सकती है?

(शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (FSSAI) की कार्यप्रणाली : सुरक्षा से गुणवत्ता तक

खबरों में क्यों ?

fssai FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
Inspiring Trust, Assuring Safe & Nutritious Food

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

PLUTUS IAS

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

- हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने जड़ी-बूटियों और मसालों में कीटनाशकों की अधिकतम अवशेष सीमा (MRL) को 0.01 मिलीग्राम/किलोग्राम से बढ़ाकर 0.1 मिलीग्राम/किलोग्राम करने का निर्णय लिया है।

- भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (FSSAI) के इस निर्णय ने वैज्ञानिकों और खाद्य विशेषज्ञों के बीच गंभीर चिंताएं उत्पन्न कर दी है, जिन्होंने इस निर्णय को अवैज्ञानिक, अतार्किक और अपुष्ट माना है।

- इस बढ़ोतरी से स्वास्थ्य जोखिमों और भारतीय खाद्य उत्पादों के निर्यात पर नकारात्मक प्रभाव की आशंका बढ़ गई है।

- पहले, FSSAI ने कोडेक्स एलिमेंटेरियस द्वारा निर्धारित MRL का समर्थन किया था, जो भारतीय कीटनाशकों के लिए डेटा की कमी को स्वीकार करता था।

- हाल ही में FSSAI द्वारा जारी इस नए आदेश में, FSSAI ने MRL को दस गुना बढ़ा दिया है।

क्या होता है कीटनाशक विषाक्तता ?

- कीटनाशक विषाक्तता से तात्पर्य है कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग या दुरुपयोग के परिणामस्वरूप मनुष्यों और पशुओं में उत्पन्न होने वाले हानिकारक प्रभाव। इसे मुख्यतः दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- तीव्र विषाक्तता : यह तब होती है जब किसी व्यक्ति या पशु द्वारा कम समय में बड़ी मात्रा में कीटनाशक का सेवन किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप तुरंत स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

- दीर्घकालिक विषाक्तता : यह लंबे समय तक छोटी मात्रा में कीटनाशकों के संपर्क में रहने से होती है। इसके परिणामस्वरूप कैंसर, हार्मोनल असंतुलन, और अन्य गंभीर बीमारियाँ जैसी विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएँ विकसित हो सकती हैं।

- कीटनाशकों का उपयोग कृषि और गैर-कृषि दोनों क्षेत्रों में किया जाता है, जिसमें कीटों को नष्ट करना और उनकी पुनरावृत्ति को रोकना शामिल है। हालांकि, इनका अत्यधिक या अनुचित उपयोग मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

- भारत में कीटनाशकों का विनियमन "कीटनाशक अधिनियम, 1968" और "कीटनाशक नियम, 1971" के तहत किया जाता है। ये नियम कीटनाशकों के पंजीकरण, उत्पादन और बिक्री को नियंत्रित करते हैं और इन्हें भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा लागू किया जाता है। इसलिए, कीटनाशकों के उपयोग में सतर्कता और उचित विनियमन सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र दोनों को सुरक्षित रखा जा सके।

कीटनाशकों के प्रकार :

कीटनाशक विभिन्न प्रकार के होते हैं, जो निम्नलिखित हैं –

- **कीटनाशक :** कीड़ों और कीटों से पौधों की रक्षा के लिए उपयोग में लाए जाने वाले रसायन।

- **कवकनाशी :** पौधों में कवक रोगों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायन।

- **शाकनाशी :** खरपतवारों को समाप्त करने या उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कृषि क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले रसायन।

- **जैव-कीटनाशक :** जानवरों, पौधों, बैक्टीरिया आदि से प्राप्त जैविक मूल के कीटनाशक।

- **अन्य कीटनाशक :** पादप वृद्धि नियामक, सूत्रकृमिनाशक (नेमाटीसाइड), कृंतकनाशक और धूम्रकारी (फ्यूमिगेंट)।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, कीटनाशक विषाक्तता कृषि श्रमिकों की मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है। इसके प्रतिकूल प्रभावों में कैंसर, प्रजनन संबंधी समस्याएँ, प्रतिरक्षा तंत्र में बाधाएँ और तंत्रिका तंत्र पर दुष्प्रभाव होना शामिल शामिल है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) :

fssai FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
Inspiring Trust, Assuring Safe & Nutritious Food
PLUTUS IAS UPSC/ PCS

- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 को की गई थी।

- FSSAI का मुख्य कार्य पूरे भारत में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की जाँच करना और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। यह संस्था

खाद्य पदार्थों में मिलावट पर नियंत्रण रखती है और खाद्य पदार्थों के आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और निगरानी के लिए वैज्ञानिक आधारित मानकों का निर्माण करती है।

- इसके अतिरिक्त, FSSAI खाद्य व्यवसायियों को प्रमाणन देने और खाद्य संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने का कार्य भी करती है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की संरचना :

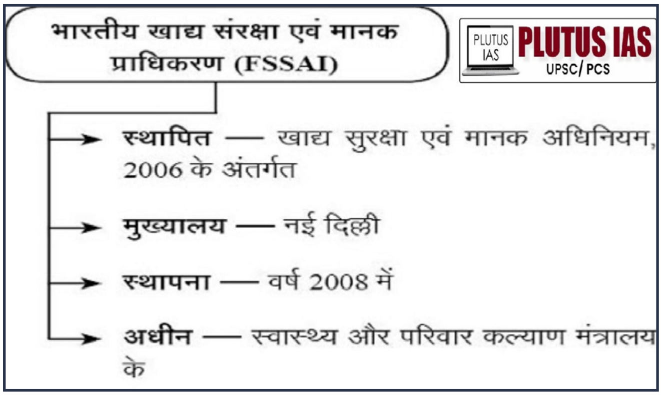

- भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) में प्रमुख सदस्यों की एक विशिष्ट संरचना होती है ।
- इसमें एक अध्यक्ष और 22 अन्य सदस्य शामिल होते हैं, जिनमें से कम से कम एक-तिहाई महिला सदस्य होने चाहिए।
- इन सदस्यों में विभिन्न क्षेत्रों के जैसे कि खाद्य विज्ञान, चिकित्सा, पोषण, और अन्य संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं।
- FSSAI का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका देश भर में क्षेत्रीय कार्यालय हैं।
- FSSAI के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इसके अध्यक्ष ही इस संस्था के प्रमुख होते हैं।
- FSSAI के वर्तमान अध्यक्ष **श्री राजेश भूषण** हैं।
- इसके अलावा, FSSAI में विभिन्न विशेषज्ञ समितियाँ और पैनल भी होते हैं, जो खाद्य सुरक्षा और मानकों से संबंधित विशेष मुद्दों पर सलाह देने का कार्य करते हैं।
- FSSAI के सदस्यों की संरचना इस प्रकार डिजाइन की गई है कि यह खाद्य सुरक्षा और मानकों के क्षेत्र में विविधता और विशेषज्ञता को सुनिश्चित कर सके।
- इससे खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा के मानकों को उच्च स्तर पर बनाए रखने में मदद मिलती है।
- FSSAI खाद्य सुरक्षा और मानकों से संबंधित सभी मामलों के लिए एक एकल संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करता है, जिससे खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को नियंत्रित किया जा सके।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का प्रमुख कार्य और क्षेत्राधिकार :

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण जिनकी स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानकों के नियमन के लिए भारत सरकार का एक प्रमुख संस्थान है और जिसकी स्थापना **खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006** के तहत की गई थी के प्रमुख कार्य एवं क्षेत्राधिकार निम्नलिखित हैं –

- **खाद्य सुरक्षा के खतरों की पहचान करना :** यह खाद्य खपत, संदूषण, और उभरते जोखिमों के संबंध में डेटा एकत्र करता है और खाद्य सुरक्षा के खतरों की पहचान करता है।
- **लाइसेंसिंग और पंजीकरण प्रदान करना :** यह खाद्य व्यवसायों से संबंधित लाइसेंस और पंजीकरण प्रदान करता है, जिससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
- **विनियमन और मानक निर्धारण करने का अधिकार :** FSSAI के पास खाद्य पदार्थों, उनके योजकों और संबंधित उत्पादों के लिए विनियमों और मानकों को निर्धारित करने का अधिकार होता है।
- **मानकों में संशोधन और विस्तार करना :** FSSAI ने मीड (हनी वाइन) और अल्कोहलिक रेडी-टू-ड्रिंक (RTD) पेय पदार्थों, दूध वसा उत्पादों, हलीम आदि के मानकों में संशोधन किया है।
- **निरीक्षण और निगरानी से संबंधित प्रवर्तन का अधिकार :** यह संस्था खाद्य सुरक्षा कानूनों और विनियमों का प्रवर्तन करती है, जिसमें निरीक्षण और निगरानी शामिल है।
- **खाद्य सुरक्षा मानकों के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास सुनिश्चित करना :** FSSAI खाद्य सुरक्षा मानकों के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए उत्तरदायी है और इसका अनुसंधान एवं विकास प्रभाग इस कार्य को संभालता है।
- **व्यापार में सुगमता :** FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक नियमों को सरल और कारगर बनाने के लिए विभिन्न संशोधनों को मंजूरी दी है, जिससे व्यापार में सुगमता की सुविधा प्रदान होती है।

PLUTUS IAS

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के प्रमुख कार्यक्रम और अभियान :

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने भारत में खाद्य सुरक्षा और पोषण के महत्व को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम और अभियान आरंभ किया हुआ हैं। जो निम्नलिखित है –

- **विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस :** यह दिवस विश्व भर में खाद्य सुरक्षा के महत्व को उजागर करता है और लोगों को सुरक्षित खाद्य प्रथाओं के प्रति जागरूक करता है।
- **ईट राइट इंडिया :** यह अभियान स्वस्थ खान-पान की आदतों को बढ़ावा देने और खाद्य पदार्थों में पोषण मूल्य को समझने के लिए जन-जागरूकता फैलाने का प्रयास करता है।
- **ईट राइट स्टेशन :** रेलवे स्टेशनों पर स्वस्थ और सुरक्षित खाद्य विकल्पों को प्रोत्साहित करने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है।
- **ईट राइट मेला :** यह मेला खाद्य सुरक्षा, पोषण और स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियों और प्रदर्शनियों का आयोजन करता है।
- **राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक :** यह सूचकांक विभिन्न राज्यों में खाद्य सुरक्षा के मानकों का मूल्यांकन करता है और उन्हें रैंक प्रदान करता है।
- **RUCO (प्रयुक्त खाना पकाने के तेल का पुन: उपयोग) :** इस पहल के तहत, प्रयुक्त खाना पकाने के तेल को इकट्ठा करके बायोडीजल में परिवर्तित किया जाता है।
- **खाद्य सुरक्षा मित्र :** यह पहल खाद्य व्यवसायियों को खाद्य सुरक्षा के मानकों का पालन करने में सहायता प्रदान करती है।
- **100 फूड स्ट्रीट्स :** इस अभियान के अंतर्गत, चुनिंदा स्ट्रीट फूड क्षेत्रों को स्वच्छता और सुरक्षा के मानकों के अनुसार प्रमाणित किया जाता है। ये पहल न केवल भारत में खाद्य सुरक्षा के मानकों को बढ़ाती हैं, बल्कि लोगों को स्वस्थ खान-पान की ओर प्रेरित भी करती हैं।

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के प्रभार में होता है।
2. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 ने खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम (प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन) अधिनियम, 1954 को प्रतिस्थापित किया है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें:

A. केवल 1 सही है।

B. केवल 2 सही है।

C. कथन 1 और 2 दोनों सही हैं।

D. कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं।

उत्तर – विकल्प B

व्याख्या :

- कथन 1 गलत है, क्योंकि FSSAI केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन होता है, न कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के प्रभार में होता है।
- कथन 2 सही है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 ने खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम अधिनियम, 1954 को प्रतिस्थापित किया है।

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

PLUTUS IAS

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

Q.1. भारत सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियों के समाधान के लिए अपनाई गई नीतियों को रेखांकित करते हुए यह विश्लेषण करें कि FSSAI के हालिया आदेश के तहत भारत में जड़ी-बूटियों और मसालों में कीटनाशकों की अधिकतम अवशेष सीमा (MRL) बढ़ाने से कीटनाशक विषाक्तता पर क्या प्रभाव पड़ सकता है ? (UPSC – 2022)

(शब्द सीमा – 250 अंक- 15)

मातृत्व की सुरक्षा : व्यापक टीकाकरण और मातृ मृत्यु दर के बीच जंग

खबरों में क्यों ?

- भारत में हाल ही में फेडरेशन ऑफ ऑब्सटेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसायटीज़ ऑफ इंडिया (FOGSI) ने महिलाओं के लिए एक व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में वयस्क नागरिकों को टीकाकरण के बारे में जागरूक करना है।

- चूँकि महिलाएँ पुरुषों की अपेक्षा 25% अधिक समय अस्वस्थता में बिताती हैं, इसलिए इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य की गुणवत्ता में सुधार करना है।

- भारत में यह टीकाकरण कार्यक्रम महिलाओं को वैक्सीन – निवार्य रोगों (Vaccine – Preventable Diseases – VPD) से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

- वैक्सीन – निवार्य रोग (VPD) आमतौर पर जीवाणु या विषाणु के कारण होते हैं और टीकों से इनकी रोकथाम की जा सकती है।

- इन रोगों के कारण दीर्घकालिक व्याधि और कभी – कभी मृत्यु भी हो सकती है।

- चिकनपॉक्स, डिप्थीरिया और पोलियोवायरस संक्रमण VPD के प्रमुख उदाहरण हैं।

भारत में मातृ मृत्यु दर :

- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, गर्भवती होने पर या गर्भावस्था की समाप्ति के 42 दिनों के भीतर, गर्भावस्था या उसके प्रबंधन से संबंधित किसी भी कारण से हुई महिला की मृत्यु को मातृ मृत्यु माना जाता है। प्रति एक लाख जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु को मातृ मृत्यु दर (MMR) कहा जाता है।

- भारत के असम राज्य में सबसे अधिक मातृ मृत्यु दर (MMR) (195) है, जबकि केरल में प्रति लाख जीवित जन्म पर यह आंकड़ा सबसे कम(19) है। यूनेस्को के अनुसार, भारत की MMR में 2000 से 2020 तक 6.36% की गिरावट हुई है, जो वैश्विक गिरावट की दर से तीन गुना अधिक है।

- भारत में दिन – प्रतिदिन अर्थात उतरोत्तर मातृ मृत्यु दर (MMR) में सुधार हो रहा है, जो मातृ स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण आयाम है।

रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया :

- रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

- यह जनसंख्या की गणना, देश में मृत्यु और जन्म के पंजीकरण के कार्यान्वयन के अलावा नमूना पंजीकरण प्रणाली (Sample Registration System-SRS) का उपयोग करके प्रजनन और मृत्यु दर के संबंध में अनुमान प्रस्तुत करता है।

- SRS देश का सबसे बड़ा जनसांख्यिकीय नमूना सर्वेक्षण है, जिसमें अन्य संकेतक राष्ट्रीय प्रतिनिधि नमूने के माध्यम से मातृ मृत्यु दर का प्रत्यक्ष अनुमान प्रदान करते हैं।

- SRS के तहत दर्ज मौतों के लिए वर्बल ऑटोप्सी (Verbal Autopsy-VA) उपकरणों का नियमित आधार पर उपयोग किया जाता है, ताकि देश में विशिष्ट कारणों से होने वाली मृत्यु दर का पता लगाया जा सके।

भारत में मातृ मृत्यु दर और महिलाओं के लिए व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम :

भारत सरकार ने मातृ मृत्यु दर को कम करने और महिलाओं के टीकाकरण कवरेज को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित प्रमुख पहलों की शुरुआत की है:

- **यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम (UIP) :** इस कार्यक्रम के अंतर्गत 12 टीकों से बचने योग्य रोगों के खिलाफ नि:शुल्क टीकाकरण किया जाता है। इसमें डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, पोलियो, खसरा, रूबेला, क्षय रोग, हेपेटाइटिस बी, और हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा टाइप बी के कारण होने वाले मेनिन्जाइटिस तथा निमोनिया जैसी 9 राष्ट्रीय स्तर पर लक्षित बीमारियाँ शामिल हैं।

- **मिशन इंद्रधनुष :** यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम (UIP) के अंतर्गत टीकाकरण से वंचित बच्चों के लिए 2014 में मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई। इसके चार चरणों में 2.53 करोड़ से अधिक बच्चों और 68 लाख गर्भवती महिलाओं को जीवन रक्षक टीके दिए गए हैं।

- **फेडरेशन ऑफ ओब्स्टेट्रिक्स और गाइनेकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया (FOGSI) :** यह संगठन भारत में प्रसूति और स्त्री रोग चिकित्सकों का समर्थन करता है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करना, प्रजनन संबंधी अधिकारों को बढ़ावा देना और मातृ मृत्यु दर को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना है। इन पहलों के माध्यम से, भारत महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण सुधार कर रहा है।

भारत में मातृ मृत्यु दर की वर्तमान स्थिति :

- भारत वर्ष 2020 तक 100 प्रति लाख जीवित जन्मों के राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (NHP) के लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब था और 2030 तक 70 प्रति लाख जीवित जन्मों के संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की राह पर है।

- कई विकसित देशों ने सफलतापूर्वक मातृ मृत्यु दर (MMR) को एकल अंकों में ला दिया है।

- इटली, नॉर्वे, पोलैंड, और बेलारूस में मातृ मृत्यु दर (MMR केवल 2 है, जबकि जर्मनी और यूके में यह 7 है। कनाडा में MMR 10 और अमेरिका में 19 है।

- भारत के अधिकांश पड़ोसी देशों की तुलना में, नेपाल (186), बांग्लादेश (173), और पाकिस्तान (140) का मातृ मृत्यु दर अधिक है।

- हालांकि, चीन और श्रीलंका क्रमशः 18.3 और 36 के MMR के साथ बेहतर स्थिति में हैं।

भारत में विभिन्न राज्यों से संबंधित आँकड़े:

- भारत में सतत् विकास लक्ष्य हासिल करने वाले राज्यों की संख्या अब पाँच से बढ़कर सात हो गई है। ये राज्य हैं: केरल (30), महाराष्ट्र (38), तेलंगाना (56), तमिलनाडु (58), आंध्र प्रदेश (58), झारखंड (61), और गुजरात (70)।

- केरल ने सबसे कम मातृ मृत्यु दर दर्ज की है, जो उसे राष्ट्रीय मातृ मृत्यु दर 103 से आगे रखता है।

- केरल के मातृ मृत्यु दर में 12 अंक की गिरावट आई है।

- पिछले SRS बुलेटिन (2015-17) ने राज्य की मातृ मृत्यु दर को 42 के स्तर पर रखा था, जिसे बाद में समायोजित कर 43 कर दिया गया था।

- भारत के 09 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति द्वारा निर्धारित मातृ मृत्यु दर लक्ष्य को हासिल कर लिया है।

- इन राज्यों में ऊपर बताए गए सात राज्य और कर्नाटक (83) एवं हरियाणा (96) शामिल हैं।

- उत्तराखंड (101), पश्चिम बंगाल (109), पंजाब (114), बिहार (130), ओडिशा (136), और राजस्थान (141) में एमएमआर 100-150 के बीच है।

- छत्तीसगढ़ (160), मध्य प्रदेश (163), उत्तर प्रदेश (167), और असम (205) का मातृ मृत्यु दर 150 से ऊपर है।

भारत में मातृ मृत्यु दर और महिलाओं के लिए व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया कुछ सरकारी पहल :

भारत में मातृ मृत्यु दर को कम करने और महिलाओं के लिए व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत भारत सरकार ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहल शुरू की है –

- **जननी सुरक्षा योजना (JSY) :** राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत यह योजना संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने के लिए नकद सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव सेवाएं उपलब्ध कराना है।

PLUTUS IAS

- **प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) :** इस अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं के लिए सुनिश्चित, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल की जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि गर्भवती महिलाओं को नियमित और समय पर चिकित्सा सेवाएं मिलें।

- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) :** यह योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करती है। इसके तहत पहली बार गर्भधारण करने वाली महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वे अपने पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकें।

- **पोषण अभियान :** इस अभियान का उद्देश्य मातृ और शिशु पोषण में सुधार करना है। इसके तहत महिलाओं और बच्चों को संतुलित आहार और पोषण संबंधी शिक्षा प्रदान की जाती है।

- **लक्ष्य दिशा-निर्देश :** इस पहल का उद्देश्य प्रसव के दौरान महिलाओं को उच्च गुणवत्तापूर्ण देखभाल प्रदान करना है। इसके तहत स्वास्थ्य कर्मियों को प्रसव के दौरान महिलाओं की देखभाल के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

भारत में मातृ मृत्यु दर और महिलाओं के लिए व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम में आगे की राह :

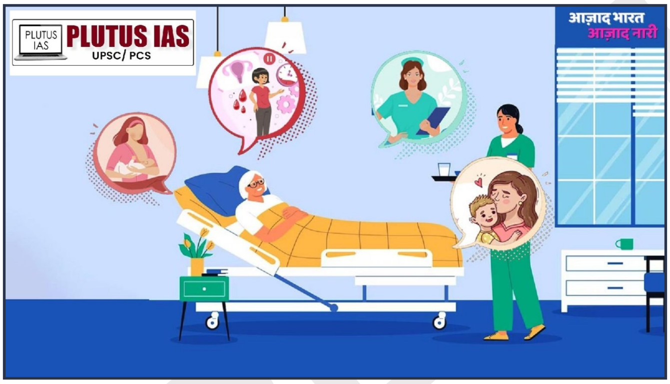

- किसी क्षेत्र की मातृ मृत्यु दर उस क्षेत्र में महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य का एक प्रमुख सूचकांक होता है।

- WHO ने भारत के मातृ मृत्यु दर को कम करने के प्रयासों की सराहना की है, लेकिन भारत को अभी भी उच्च मातृ मृत्यु दर वाले राज्यों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

- भारत में महिलाओं के लिए व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम को और मजबूत करना होगा ताकि प्रजनन दर और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार हो सके और मातृ मृत्यु दर को और कम किया जा सके।

- भारत में उच्च मातृ मृत्यु दर वाले क्षेत्रों और राज्यों में विशेष स्वास्थ्य सेवाओं और जागरूकता अभियानों का विस्तार आवश्यक है।

स्रोत – द हिंदू एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. 1. भारत में ‘ मिशन इंद्रधनुष ‘ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए ? (UPSC – 2016)

1. यह देश भर में स्मार्ट शहरों के निर्माण कार्यक्रम से संबंधित है।
2. यह भारत की नई शिक्षा नीति कार्यक्रम से संबंधित है।
3. यह भारत में इसरो के मिशन चंद्रयान कार्यक्रम से संबंधित है।
4. यह भारत में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण कार्यक्रम से संबंधित है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कितने कथन सही है ?

A. केवल एक

B. केवल दो

C. केवल तीन

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. चर्चा कीजिए कि भारत में मातृ मृत्यु दर को कम करने और महिलाओं के लिए व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम के समक्ष क्या-क्या चुनौतियाँ हैं और इन चुनौतियों का समाधान कैसे किया जा सकता है ? (UPSC CSE – 2018 शब्द सीमा – 250 अंक – 15)